

11.02.2023

नेशनल लोक अदालत में प्रकरण मेरे समक्ष
प्रस्तुत हुआ।

परिवादी सहित श्रीमती श्वेता माहेश्वरी अधिवक्ता
उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री के.आर. सोनोने
उपस्थित।

इसी स्तर पर उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा
आवेदन इस आशय का है कि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन
चैक की राशि 75,000/- रुपये के संबंध में 60,000/-
रुपये में राजीनामा हो गया है तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी
को 7,000/- रुपये की राशि भी संदाय की जा चुकी है।
शेष 53,000/- रुपये की राशि में से अभियुक्त द्वारा
परिवादी को प्रथम किश्त दिनांक-19.02.2023 को
9,000/- रुपये, द्वितीय किश्त 6,000/- रुपये की
दिनांक-19.03.2023, तृतीय किश्त 6,000/- रुपये की
दिनांक-19.04.2023, चतुर्थ किश्त 6,000/- रुपये की
दिनांक-19.05.2023, पंचम किश्त 6,000/- रुपये की
दिनांक-19.06.2023, छठी किश्त 6,000/- रुपये की
दिनांक-19.07.2023, सातवीं किश्त 6,000/- रुपये की
दिनांक-19.08.2023 एवं अंतिम किश्त 8,000/- रुपये की
दिनांक-19.09.2023 को प्रदत्त की जावेगी। अतः उक्त
राजीनामा के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण
समाप्त करने और न्यायशुल्क की राशि अदा किए जाने का
निवेदन किया गया।

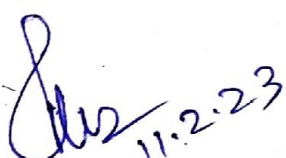
आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त पर परिवादी के साथ किये गये अपराध के
संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध
का आरोप लंबित है। लंबित उक्त अपराध राजीनामा योग्य
होकर शमनीय स्वरूप का है। इस तरह के अपराध में
राजीनामा करने हेतु परिवादी विधि अनुसार सक्षम है। आवेदन
अनुसार परिवादी मामले में अभियुक्त से स्वेच्छया राजीनामा
करना चाहता है। प्रकरण में कोई लोक हित नहीं है।
परिवादी ने राजीनामा स्वेच्छया करना स्वीकार किया है। अतः
उभयपक्ष की सहमति एवं उनके मध्य निश्चित की गई शर्तों
के अनुपालन में प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

e of der or ceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से होने से परिवादी को विवादित चैक की राशि पर देय न्यायशुल्क वापस किए जाने के संबंध में <u>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत रमेशचन्द्रा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. एवं अन्य आई.एल.आर. (2012) एम.पी. 320 डीबी तथा मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक 9-1-86-बी-xxi दिनांक 10 अप्रैल 1987</u> के अनुसार लोक अदालत में हुए समझौते अनुसार पृथक से न्यायशुल्क वापसी का प्रमाण पत्र बनाया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।  (के.आर. सोनोने) सदस्य  (रोशनी साल्वे) सदस्य  (पूर्वी तिवारी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्रं. 20 सनावद, प.नि. (म.प्र.)	